राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राज. जयपुर)

क्रमांक : एफ 20(219)/निजभूस/पीएफसी/2022/4924-54 दिनांक : 01/06/22

परियोजना प्रबन्धक एवं
अधीक्षण अभियन्ता,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद, समस्त
(बांसवाडा, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं टोंक के अतिरिक्त)

विषयः– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (जलग्रहण विकास घटक) परियोजनाओं में राजकीय अकृषि भूमि पर वानिकी एवं उद्यानिकी कार्य करवाने बाबत।
प्रसंगः– निदेशालय का पत्रांक एफ 20(219)/निजभूस/पीएफसी/2019/ 6674 दिनांक 21.06.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में राजकीय अकृषि भूमि पर वानिकी एवं उद्यानिकी कार्य करवाने बाबत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित था कि सोलर पम्प, ड्रिप सिंचाई पद्धति की स्थापना, पौधारोपण (पौधों के रखरखाव हेतु चौकीदार की व्यवस्था, बार्बड वायर फेंसिंग), बोरबेल/कुआं, अजोला कल्टीवेशन, वर्मी कम्पोस्ट, नर्सरी स्थापना, ग्रीन हाउस आदि पर व्यय कृषि उत्पादन मद से किया जायेगा।

इसी प्रकार आदेशों के बिन्दु संख्या 9 में उल्लेखित था कि जलसंग्रहण ढांचे के निर्माण एवं अन्य जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण गतिविधियां जैसे सी.सी.टी., स्ट्रेगर्ड ट्रेन्चेज, संकन पोण्ड की लागत परियोजना के एन.आर.एम. मद से ली जावेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (जलग्रहण विकास घटक) परियोजनाओं में राजकीय अकृषि भूमि पर वानिकी एवं उद्यानिकी कार्य करवाने में प्रासंगिक पत्र (संलग्न) में दिये गये निर्देशों की पालना की जावे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(आशीष गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक : एफ 20(219)/निजभूस/पीएफसी/2022/4924-54 दिनांक : 01/06/22

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राज. जयपुर।
2. ए.सी.पी. को भेजकर लेख है कि पत्र को पोर्टल पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक(आई.डब्ल्यु.एम.पी.)